न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12/2019
दायरी दिनांक : 10.01.2019

उनवान

1. पन्ना पिता श्रीराम जाति रेबारी निवासी बिलीया तहसील माण्डलगढ़।
2. गोदू पिता श्रीराम जाति रेबारी निवासी बिलीया तहसील माण्डलगढ़।
3. बगती पत्नि श्रीराम जाति रेबारी निवासी बिलीया तहसील माण्डलगढ़।

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता राजू जाति बलाई निवासी हिन्दूसिंहजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।
3. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 12.11.2021

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बिलीया प्टवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 160 के आराजी नम्बर 858/774 रकबा 3 बीघा, आराजी संख्या 859/775 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, आराजी सख्या 946/708 रकवा 3 बीघा, आराजी संख्या 1052/859 रकवा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। व उक्त भूमि को वादीगण ने किसी भी व्यक्ति विशेष को रहन व काश्त करने हेतु नही दिया है। यह कि वादीगण की कृषि भूमि आराजी संख्या 859/775 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 पडौसी खातेदार है जिसमे करीब 6 माह पूर्व वादीगण के आराजी संख्या 859/775 मे पूर्वी मेड की और अवैध रूप से, कब्जा कर वादीगण की भूमि को अपनी भूमि में मिला लिया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को अवैध कब्जा हटाने बाबत कहाँ तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहाँ कि तुम्हारी जमीन की पत्थरगढी करवा लेना अगर तुम्हारी जमीन हमारे कब्जे में आऐगी तो हम हटा हमारा कब्जा हटा लेगें। यह कि वादीगण ने वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित भूमि की पत्थरगढी हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के यहाँ पेश किया जिसकी प्रकरण संख्या 475/2018 है जिसकी पालना में दिनांक 13.06.2018 को ग्राम बिलीया पटवार हल्का रलायता के आराजी संख्या 858/744, आराजी संख्या 859/775, आराजी संख्या 946/708, आराजी संख्या 1052/859 कुल किता 4 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा की पत्थरगढी भू–अभिलेख निरीक्षक धामनीया एवं पटवार हल्का रलायता व वादीगण व प्रतिवादीगण सहीत अन्य मौतबीरान की उपस्थिति में उक्त भूमि की पत्थरगढी की गई जिस पर आराजी संख्या 859/775 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि में पूर्वी मेर की और 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर मांगीलाल पिता राजू बलाई निवासी हिन्दूसिंहजी का खेडा का अवैध रूप से कब्जा पाया गया वक्त पत्थरगढी वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन किया तो

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़ जि–भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner